न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 219 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 380

प्रार्थी

मांगीलाल पुत्र अबाराम
जाति मेधवाल
निवासी छाछरलाई कलां
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी

1.घारूराम पुत्र मंगलाराम
2.पीराराम पुत्र मंगलाराम
3.सुगणोंदेवी पत्नि मंगलाराम
4.हरचंदराम पुत्र मंगलाराम
जाति मेधवाल निवासी छाछरलाई कलां
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
5.राजस्थान सरकार जरीयें तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री डूंगरसिंह नामा ,अधिवक्ता प्रार्थी।
2.विप्रार्थी संख्या 01 से 4 एकपक्षीय ।
3.विप्रार्थी संख्या 05 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 09.2.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 406 / 144 क्षेत्रफल 6.5397 हैक्टेयर एवं ग्राम छाछरलाई कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल [illegible] हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित [illegible] में प्रार्थी का अशुद्व नाम मांगाराम दर्ज हो रखा है, अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण [illegible] को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि मांगाराम पुत्र अबाराम के स्थान पर सही नाम मांगीलाल पुत्र अंबाराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:15 IST
Reason: SelfAttested

(S.D.O.) बालोतरा

2प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 04 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 05 की ओर से जबाव पेश किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 05 उपस्थित नही हुए।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस मे निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम घतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 406/144 क्षेत्रफल 6.5397 हैक्टयर एवं ग्राम छाछरलाई कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 3.3994 हैक्टयर भूमि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदार मे अवस्थित है। प्रार्थी का धरेलू बोलचाल भाषा में मांगाराम नाम से पुकारे थे और रेकर्ड मे भी उक्त अशुद्व नाम की प्रतिष्टि कर दी गई। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल है। लेकिन अशुद्व प्रविष्टि मांगाराम इन्द्राज कर दी गई,जो एक एरर एपिरेन्ट ऑन द फेस ऑफ रेकर्ड है,जो कि एक लिपिकीय त्रुटिवंश दर्ज हो रखा है। जबकि अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक मांगीलाल दर्ज है,लेकिन विवादित भूमि में प्रार्थी का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। विवादित भूमि में प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में प्रार्थी मांगाराम पुत्र अबाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र अंबाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश फरमायें जावें।

5.हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम घतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 406/144 क्षेत्रफल 6.5397 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की आवगी खातेदारी में अवस्थित है तथा ग्राम छाछरलाई कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 3.3994 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम मांगाराम पुत्र अंबाराम दर्ज हो रखा है। जबकि विप्रार्थी संख्या 05 तहसीलदार कल्याणपुर ने अपनें जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्व नाम का अंकन हो रखा है,जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल है। प्रार्थी मांगाराम व मांगीलाल दोनो एक ही व्यक्ति है,इस नाम व पिताजी के नाम का अन्य व्यक्ति उक्त ग्रामों में नहीं है। इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्व नाम की प्रविष्टि हो रखी है,जो प्रार्थी दुरूस्त करवानें का हकदार है। प्रार्थी के अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड छायाप्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र छायाप्रति,राशन कार्ड प्रति व जनआधार कार्ड छायाप्रति में प्रार्थी का वास्तविक नाम मांगीलाल पुत्र अंबाराम अंकन है,इससे भी प्रमाणित है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में अशुद्व नाम इन्द्राज हो रखा है,जो प्रार्थी विवादित भूमि में शुद्व नाम इन्द्राज करवानें का हकदार प्रतीत होता है। प्रार्थी का विवादित भूमि में नाम प्रविष्टि शुद्व करनें से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सहखातेदार के हक हकूको पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है तथा न ही सहखातेदार द्वारा कोई आपति पेश की गई है। प्रार्थी अपना आवेदन–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत मे प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

07.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि में अपना अशुद्व नाम मांगाराम के स्थान पर मांगीलाल दुरूस्त करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–घतरवालो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 406/144 क्षेत्रफल 6.5397 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम छाछरलाई कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 03 क्षेत्रफल 3.3994 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी के नाम की अशुद्व प्रविष्टि मांगाराम पुत्र अंबाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र अंबाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 09·2·24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 21:14:15 IST
Reason: SelfAttested